प्रेषक,

जनपद न्यायाधीश,
फर्रुखाबाद।

सेवा में,

महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

पत्रांक : 112 / XV , फर्रुखाबाद : दिनांकित : जनवरी 08, 2021

विषय : जनपद न्यायालय, फर्रुखाबाद में उपलब्ध शौचालयों की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक ससम्मान निवेदन है कि प्रभारी अधिकारी, नजारत/अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-10, फर्रुखाबाद द्वारा निरीक्षणोपरान्त अधिष्ठान में उपलब्ध शौचालयों की व्यवस्था के सम्बन्ध में आख्या दिनांकित 08.01.2021 प्रस्तुत की गयी है, जिसके अनुसार 12 कक्षीय बहुखण्डीय न्यायालय भवन में भूतल, प्रथम तल व द्वितीय तल पर प्रत्येक दो न्यायालय कक्षों में एक-एक संयुक्त शौचालय हैं। भूतल पर एक महिला न्यायिक अधिकारी एवं प्रथम तल पर दो महिला न्यायिक अधिकारीगण कार्यरत हैं, जिनके शौचालय साफ-सुथरे हैं व नियमित रूप से साफ-सफाई की जा रही है। प्रत्येक तल पर बरामदे में दो शौचालय महिलाओं व पुरुषों के प्रयोग हेतु साफ-सुथरी स्थिति में हैं व नियमित रूप से साफ-सफाई की जा रही है। महिला शौचालय की चाबी महिला कर्मचारीगण के पास रहती है।

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पीछे महिला न्यायिक अधिकारीगण के प्रयोग हेतु नवीन शौचालय बने हैं, जो सफाई कर्मियों द्वारा साफ किये जा रहे हैं। इनके बराबर में ही पुरुषों एवं विकलांग लोगों हेतु पृथक-पृथक शौचालय स्थित है, जो साफ-सुथरे हैं एवं सफाई कर्मियों द्वारा नियमित रूप से साफ किये जा रहे हैं।

गैराज में स्थित न्यायालय कक्षों में शौचालय सुविधा न होने के कारण नवनियुक्त महिला न्यायिक अधिकारियों को वीडियो कान्फ्रेसिंग रूम में स्थित शौचालय की चाबी उन्हें प्राप्त करायी गयी है। सफाई कर्मियों द्वारा इस शौचालय की नियमित रूप से साफ-सफाई की जा रही है। इस अधिष्ठान में कार्यरत समस्त पुरुष व महिला अधिकारीगण हेतु पर्याप्त तथा साफ-सुथरे शौचालय उपलब्ध हैं। वादकारीगण हेतु प्रयुक्त शौचालयों की भी नियमित रूप से साफ-सफाई की जा रही है।

अतः प्रभारी अधिकारी, नजारत/अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-10, फर्रुखाबाद की आख्या दिनांकित 08.01.2021 की छायाप्रति संलग्न कर माननीय न्यायालय के अवलोकनार्थ सूचना प्रेषित की जा रही है।

सादर।

भवदीय,
08/1/21

संलग्नक : यथोक्त।

(चवन प्रकाश)
जनपद न्यायाधीश,
फर्रुखाबाद।

प्रेषक,

प्रभारी अधिकारी नजारत/
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या-10, फर्रूखाबाद।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
फर्रूखाबाद।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि केन्द्रीय नाजिर, उप नाजिर एवं सहायक नाजिर की आख्या दिनांकित 07.01.2021 का अवलोकन किया तथा मेरे द्वारा इस न्यायिक अधिष्ठान में स्थित समस्त टॉयलेट रूम का निरीक्षण किया गया। न्यायालय परिसर में स्थित 12 कक्षीय बहुखण्डीय न्यायालय भवन में भूतल, प्रथम तल एवं द्वितीय तल पर प्रत्येक दो न्यायालय कक्षों में एक-एक संयुक्त टॉयलेट हैं, जिनमें भूतल पर एक महिला न्यायिक अधिकारी एवं प्रथम तल पर दो महिला न्यायिक अधिकारीगण कार्यरत है। उनके न्यायालय कक्षों में स्थित टॉयलेट साफ-सुथरे है और नियमित रूप से सफाई कर्मचारियों द्वारा साफ-सफाई की जा रही है। प्रत्येक तल पर बरामदे में स्थित दो टॉयलेट एक महिलाओं एवं एक पुरूषों के प्रयोग हेतु चालू है, जिनकी नियमित रूप से साफ-सफाई की जा रही है। महिला कार्मचारीगण के पास महिला टॉयलेट की चाबी रहती हे, जो प्रयोग के उपरान्त ताला डाल देती है।

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पीछे स्थित नवीन टॉयलेट रूम बने है जिन्हें महिला न्यायिक अधिकारी प्रयोग करती है और उसकी चाबी उनके पास रहती है। इस टॉयलेट रूम की नियमित रूप से सफाई कर्मचारी साफ-सफाई करते हैं। इस टॉयलेट रूम के बराबर में ही पुरषों एवं विकलांग लोगों के प्रयोग हेतु पृथक-पृथक टॉयलेट रूम स्थित है जो साफ सुथरे हैं एवं उनकी नियमित रूप से सफाई कर्मचारी साफ-सफाई करते है।

नव नियुक्त महिला न्यायिक अधिकारियों हेतु गैराज स्थित न्यायालय कक्षों में टॉयलेट की सुविधा न होने के कारण उन्हें वीडियो कान्फ्रेंसिंग रूम में स्थित टॉयलेट रूम प्रयोग हेतु उसकी चाबी प्राप्त कराई गयी है, जिसका प्रयोग उनके द्वारा किया जा रहा है। सफाई कर्मचारी नियमित रूप से इस टॉयलेट रूम की साफ-सफाई करते है।

इस जनपद न्यायालय में कार्यरत समस्त पुरूष एवं महिला अधिकारीगण के प्रयोग हेतु पर्याप्त तथा साफ-सुथरे टॉयलेट है। वादकारी आदि के प्रयोग हेतु शौचालय की भी नियमित सफाई की जाती है।

सूचना सेवा में सादर प्रेषित है।

भवदीय,

Seen
08/1/21

ASingh
08-1-2021

प्रभारी अधिकारी नजारत/
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या-10, फर्रूखाबाद।

सेवा में,

श्रीमान् प्रभारी अधिकारी नजारत,
जनपद न्यायालय, फर्रुखाबाद।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि इस न्यायिक अधिष्ठान में स्थित 12 कक्षीय बहुखण्डीय न्यायालय भवन में भूतल, प्रथम तल एवं द्वितीय तल पर प्रत्येक दो न्यायालय कक्षों में एक-एक संयुक्त टॉयलेट हैं, जिनमें भूतल पर एक महिला न्यायिक अधिकारी एवं प्रथम तल पर दो महिला न्यायिक अधिकारीगण कार्यरत है। उनके न्यायालय कक्षों में स्थित टॉयलेट साफ-सुथरे है और नियमित रूप से सफाई कर्मचारियों द्वारा साफ-सफाई की जा रही है। प्रत्येक तल पर बरामदे में स्थित दो टॉयलेट एक महिलाओं एवं एक पुरूषों के प्रयोग हेतु चालू है, जिनकी नियमित रूप से साफ-सफाई की जा रही है। महिला कार्मचारीगण के पास महिला टॉयलेट की चाबी रहती है, जो प्रयोग के उपरान्त ताला डाल देती है।

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पीछे स्थित नवीन टॉयलेट रूम बने है जिन्हें महिला न्यायिक अधिकारी प्रयोग करती है और उसकी चाबी उनके पास रहती है। इस टॉयलेट रूम की नियमित रूप से सफाई कर्मचारी साफ-सफाई करते हैं। इस टॉयलेट रूम के बराबर में ही पुरषों एवं विकलांग लोगों के प्रयोग हेतु पृथक-पृथक टॉयलेट रूम स्थित है जो साफ सुथरे हैं एवं उनकी नियमित रूप से सफाई कर्मचारी साफ-सफाई करते है।

नव नियुक्त महिला न्यायिक अधिकारियों हेतु गैराज स्थित न्यायालय कक्षों में टॉयलेट की सुविधा न होने के कारण उन्हें वीडियो कान्फ्रेंसिंग रूम में स्थित टॉयलेट रूम प्रयोग हेतु उसकी चाबी प्राप्त कराई गयी है, जिसका प्रयोग उनके द्वारा किया जा रहा है। सफाई कर्मचारी नियमित रूप से इस टॉयलेट रूम की साफ-सफाई करते है।

इस जनपद न्यायालय में कार्यरत समस्त पुरूष एवं महिला अधिकारीगण के प्रयोग हेतु पर्याप्त तथा साफ-सुथरे टॉयलेट है। वादकारी आदि के प्रयोग हेतु शौचालय की भी नियमित सफाई की जाती है।

आख्या सादर प्रेषित है।

Seen
08-1-2021
O/C NAZARAT
District Court
Farrukhabad

Rahul Singh 07/01/2021	07/01/2021	AMSingh 07/01/2021
सहायक नाजिर,	उप नाजिर,	केन्द्रीय नाजिर,
जनपद न्यायालय,	जनपद न्यायालय,	जनपद न्यायालय,
फर्रुखाबाद।	फर्रुखाबाद।	फर्रुखाबाद।